अभि. साक्षी क्र. 07 एन.डी.पी.एस. प्रकरण क्रमाँक – 35/22

शासन विरूद्ध श्रीमती सीमा पटेल

साक्षी क्रमाँक 07 तरफ से अभियोजन पक्ष की

दिनाँक– 23.05.2025 को ली गई, शपथपूर्वक हलफ से

मेरा नाम– विजय लोधी पिता का नाम– श्री भुवनलाल लोधी

उम्र– करीब 36 वर्ष पेशा– ड्रायवर

पता– ग्राम नंदिनी खुर्दनी, वार्ड नंबर–02, जिला दुर्ग (छ.ग.)

शपथपूर्वक –

समयः 12.20 बजे से

//मुख्य परीक्षण द्वारा श्री अशोक वर्मा अति. लोक अभियोजक//

01. आरोपिया मेरे गाँव की है इसलिए मैं उसे जानता पहचानता हूँ । मैं मालवाहक गाड़ी चलाता हूँ । घटना की तारीख आज मुझे याद नहीं है । पुलिसवाले मेरे पास आये थे और मुझसे कुछ दस्तावेजों में हस्ताक्षर करवाये थे । नोटिस प्र.पी. 32 के अ से अ भाग पर तथा तराजू सत्यापन पंचनामा प्र.पी. 15 एवं तौल पंचनामा प्र.पी. 14 के स से स भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं ।

टीपः– इसी स्तर पर अति. लोक अभियोजक द्वारा साक्षी से सूचक प्रकृति के प्रश्न पूछने की अनुमति चाही गई, विचार बाद अनुमति प्रदान की गई ।

02. यह कहना गलत है कि पुलिस ने मुझे तौल कार्यवाही के लिए एक नोटिस दिया था। नोटिस प्र.पी. 32 है जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं । यह कहना गलत है कि नोटिस मिलने के बाद मैं इलेक्ट्रॉनिक तराजू लेकर घटनास्थल शिवा पटेल के घर के आंगन ग्राम नंदिनी–खुंदिनी गया था । यह कहना गलत है कि मैंने तौल पंचनामा की

कार्यवाही घटनास्थल पर ही की थी । यह कहना गलत है कि तौल कार्यवाही के पश्चात तौल पंचनामा प्र.पी. 14 मेरे सामने तैयार किया गया था तभी मैंने उस पर हस्ताक्षर किया था । यह कहना गलत है कि मैं आरोपिया को बचाने के लिए सही बात नहीं बता रहा हूँ ।

03. यह कहना सही है कि मैं प्रीतम होटल के पास खड़ा था, उसी समय थाना नंदिनी नगर के पुलिसवाले आये थे । यह कहना गलत है कि मुझे पुलिसवालों के द्वारा प्र.पी. 32 का नोटिस दिया गया था । मैं गाँव के यशवंत सेन को जानता हूँ । यह कहना गलत है कि मैं नोटिस मिलने के पश्चात गाँव के यशवंत सेन, कोमल बंधे एवं सीमा पटेल के समक्ष अपने इलेक्ट्रानिक तराजू को चालू कर उसका सत्यापन किया था, जो चालू करने पर शून्य प्रदर्शित हुआ था ।

04. यह कहना गलत है कि दोनों गवाह के समक्ष आरोपिया सीमा पटेल के घर से आरोपिया सीमा पटेल से बरामद गांजा का तौल किया था जिसमें गांजा का वजन 1.420 किलोग्राम पाया गया था । यह कहना गलत है कि थैले का वजन 50 ग्राम को तौल करके अलग–अलग सील किया गया था जिसमें बाद गांजा का वजन 1.320 किलोग्राम को थैला में डालकर रखा था । यह कहना भी गलत है कि मेरे समक्ष दो कागज के पैकेट में 50–50 ग्राम मादक पदार्थ गांजा को सीलबंद किया गया था । यह कहना गलत है कि मैंने पुलिसवालों को प्र.पी. 33 का बयान दिया था ।

//प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री अभिजीत सिंह सामंत अधिवक्ता वास्ते आरोपिया//

05. यह कहना सही है कि पुलिसवालों ने मुझे इस प्रकरण में तौलकार्यवाही में तौलक के रूप में उपस्थित होने हेतु कोई नोटिस नहीं दिया था और न ही मैं इस प्रकरण के तौल कार्यवाही में तौलक के रूप में शामिल हुआ हूँ । यह कहना सही है कि जब मैं प्रीतम होटल में बैठा हुआ था तब दो–तीन पुलिसवाले मेरे पास आये थे और उन्होंने कुछ कोरे

कागजों एवं कोरे प्रोफार्मा में मेरे हस्ताक्षर करवाये थे । यह कहना सही है कि मेरे हस्ताक्षर उक्त कोरे कागजों एवं कोरे प्रोफार्मा में क्यों करा रहे हैं इसका कारण पुलिसवालों ने मुझे नहीं बताया था । यह कहना सही है कि मुझे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है । यह कहना सही है कि मैंने पुलिस को कोई बयान नहीं दिया था ।

समयः 12.55 बजे तक

वाचित/ सत्य स्वीकृत

SUNITA TOPPO Digitally signed by SUNITA TOPPO Date: 2025.05.24 17:17:28 +0530

(श्रीमती सुनीता टोप्पो)

विशेष न्यायाधीश,(एन.डी.पी.एस.)

जिला दुर्ग(छ.ग.)

मेरे निर्देश पर टंकित ।

SUNITA TOPPO Digitally signed by SUNITA TOPPO Date: 2025.05.24 17:17:33 +0530

(श्रीमती सुनीता टोप्पो)

विशेष न्यायाधीश,(एन.डी.पी.एस.)

जिला दुर्ग(छ.ग.)

..... गवाह के हस्ताक्षर